SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सत्यमेव जयते

कावेरी

अंक 31 वर्ष 2025

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय

राजभाषा विशेषांक

कावेरी

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

सत्यमेव जयते

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय

कर्नाटक, बेंगलूरु-560 001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

उद्देश्य

पत्रिका का मूल उद्देश्य है राजभाषा प्रयोग का संवर्धन साथ ही साथ हिंदी प्रयोग संबंधी आशंकाओं का निवारण एवं कार्यालयीन कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।

पत्रिका में प्रस्तुत विचार लेखकों के व्यक्तिगत विचार हैं।

टिप्पणियाँ हिंदी में लिखिए।
मसौदे हिंदी में तैयार कीजिए।
शब्दों में अटकिए नहीं।
अशुद्धियों से घबराइए नहीं।
अभ्यास अविलंब आरंभ कीजिए।

प्रकाशन
कावेरी हिंदी गृह पत्रिका

प्रकाशक
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, कर्नाटक, बेंगलूरु

अंक-31

उद्देश्य
राजभाषा का संवर्धन एवं कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना ।

मूल्य
राजभाषा के प्रति निष्ठा

मुख्य संरक्षक
राजीव कुमार सिंह
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

संरक्षक
के. विघ्नेश्वरन
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

संपादक
उदय प्रताप सिंह
सहायक निदेशक (राजभाषा)

सह संपादक
डॉ अनुराधा जोशी
वरिष्ठ अनुवादक

दीपा शर्मा
कनिष्ठ अनुवादक

मनीषा विश्वकर्मा
कनिष्ठ अनुवादक

प्रीति
कनिष्ठ अनुवादक

अनुक्रमणिका

क्रम सं॰	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	माननीय गृह मंत्री जी का संदेश	6
2.	संदेश: महालेखाकार (ले. व ह.)	8
3.	संदेश: वरिष्ठ उप महालेखाकर (प्रशासन)	9
4.	संपादकीय	10
5.	आपके पत्र	11
6.	राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह, नई दिल्ली - सुश्री प्रीति	12
7.	हिंदी की उपभाषाएँ एवं बोलियाँ - श्री एस एन शंकर	14
8.	प्रमुख हिंदी बोलियों का संक्षिप्त परिचय - श्री एस एन शंकर	15
9.	राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान - सुश्री मनीषा विश्वकर्मा	16
10.	राजभाषा हिंदी का कार्यालयीन स्वरूप - श्री उदय प्रताप सिंह	18
11.	हिंदी - विविधता में एकता और विकास की शक्ति - श्री वेदानन्द पाण्डेय	23
12.	राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम 2025-26	24
13.	कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले सामान्य वाक्यांश	27
14.	लेखा और लेखापरीक्षा संबंधी शब्दावली	28
15.	एक पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली - श्री जैसन डिसोज़ा	29
16.	वटवृक्ष की पाठशाला - श्री दलीप सिंह	31
17.	शतरंज का खेल - श्री कृष्ण मोहन	35
18.	मेरी माँ - सुश्री सविता	38
19.	वो सरकारी कर्मी जो डिजिटल दुनिया से खेलता है - श्री विजय सिंह धीरावत	39
20.	घर और मकान - श्री शिवांकू चतुर्वेदी	40
21.	एक प्रहार वेतन का भी - श्री चंदन कुमार चौधरी	41
22.	खामोशी... अच्छी है - श्री शिवांकू चतुर्वेदी	42
23.	हर इंसान के होते हैं अपने रंग - श्री राहुल शर्मा	43
24.	डी.बी.ए की मस्ती - श्री चंदन कुमार चौधरी	44
25.	यादों में अपना बचपन - श्री हिमांशु पटेल	45
26.	अक्तूबर 2024 से सितंबर 2025 के दौरान कार्यालय के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की सूची	46
27.	छायाचित्र - कार्यालय में आयोजित अग्नि सुरक्षा पर कार्यशाला	48
28.	छायाचित्र - कार्यालय में आयोजित हिंदी पखवाड़ा 2024	49
29.	छायाचित्र - कार्यालय में आयोजित हिंदी कार्यशालाएँ	51
30.	छायाचित्र - कार्यालय में आयोजित मेडिकल कैम्प	53
31.	छायाचित्र - कार्यालय में आयोजित मोबाइल जागरूकता शिविर	54
32.	छायाचित्र - कार्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस 2025	55
33.	छायाचित्र - सतर्कता जागरूकता सप्ताह	56
34.	देखो हँस न देना	57

सत्यमेव जयते

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

प्रिय देशवासियो !

आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

भारत मूलतः भाषा–प्रधान देश है। हमारी भाषाएँ सदियों से संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान–विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम रही हैं। हिमालय की ऊँचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गाँव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहने और एकजुट होकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है।

मिलकर चलो, मिलकर सोचो और मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई और सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है।

भारत की भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उन्होंने हर वर्ग और समुदाय को अभिव्यक्ति का अवसर दिया। पूर्वोत्तर में बीहू का गान, तमिलनाडु में ओवियालू की आवाज, पंजाब में लोहड़ी के गीत, बिहार में विद्यापति की पदावली, बंगाल में बाउल संत के भजन, आदिम समाज में ढोल–मांदर की थाप पर करमा की गूँज, माताओं की लोरियाँ, किसानों का बारहमासा, कजरी गीत, भिखारी ठाकुर की 'बिदेशिया', इन सबने हमारी संस्कृति को जीवन्त और लोककल्याणकारी बनाया है।

मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय भाषाएँ एक दूसरे की सहचर बनकर, एकता के सूत्र में बंधकर आगे बढ़ रही हैं। संत तिरुवल्लुवर को जितनी भावुकता से दक्षिण में गाया जाता है, उतनी ही रुचि से उत्तर में भी पढ़ा जाता है। कृष्णदेवराय जितने लोकप्रिय दक्षिण में हुए, उतने ही उत्तर में भी। सुब्रमण्यम भारती की राष्ट्रप्रेम से ओत–प्रोत रचनाएँ हर क्षेत्र के युवाओं में राष्ट्रप्रेम को प्रबल बनाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास को हर एक देशवासी पूजता है, संत कबीर के दोहे तमिल, कन्नड़ और मलयालम अनुवादों में पाए जाते रहे हैं। सूरदास की पदावली दक्षिण भारत के मंदिरों और संगीत परंपरा में आज भी प्रचलित है। श्रीमंत शंकरदेव, महापुरुष माधवदेव को हर एक वैष्णव जानता है। और, भूपेन हजारिका को हरियाणा का युवा भी गुनगुनाता है।

गुलामी के कठिन दौर में भी भारतीय भाषाएँ प्रतिरोध की आवाज बनीं और आज़ादी के आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने में भूमिका निभाई। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जनपदों की भाषाओं में, गाँव–देहात की भाषा में लोगों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा। हिंदी के साथ ही सभी भारतीय भाषाओं के कवियों, साहित्यकारों और नाटककारों ने लोकभाषाओं, लोककथाओं, लोकगीतों और लोकनाटकों के माध्यम से हर आयु, वर्ग और समाज के भीतर स्वाधीनता के संकल्प को प्रबल बनाया। वन्दे मातरम् और जय हिंद जैसे नारे हमारी भाषाई चेतना से ही उपजे और स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान के प्रतीक बने।

जब देश आजाद हुआ, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषाओं की क्षमता और महत्ता को देखते हुए

इस पर विस्तार से विचार–विमर्श किया और 14 सितम्बर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह दायित्व सौंपा गया कि हिंदी का प्रचार–प्रसार हो और वह भारत की सामासिक संस्कृति का प्रभावी माध्यम बने।

पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड आया है। चाहे संयुक्त राष्ट्रसंघ का मंच हो, जी–20 का सम्मेलन या SCO में संबोधन, मोदी जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढ़ाया है।

मोदी जी ने आजादी के अमृत काल में गुलामी के प्रतीकों से देश को मुक्त करने के जो पंच प्रण लिए थे, उसमें भाषाओं की बड़ी भूमिका है। हमें अपनी संवाद और आपसी संपर्क भाषा के रूप में भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए, न कि किसी विदेशी भाषा को। तभी हम गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्त हो पाएँगे।

राजभाषा हिंदी ने 76 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं। राजभाषा विभाग ने अपनी स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण कर हिंदी को जनभाषा और जनचेतना की भाषा बनाने का अद्‌भुत कार्य किया है। 2014 के बाद से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। संसदीय राजभाषा समिति ने वर्ष 1976 में अपनी स्थापना से लेकर 2014 तक माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रतिवेदन के 9 खंड प्रस्तुत किए थे, वहीं 2019 से अब तक 3 खंड प्रस्तुत किए जा चुके हैं। 13–14 नवम्बर 2021 को वाराणसी से प्रारंभ हुए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों की परम्परा भी लगातार आगे बढ़ रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी राजभाषा विभाग ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन पर आधारित 'कंठस्थ 2.0' में आज 5 करोड़ से अधिक वाक्यों का ग्लोबल डाटाबेस उपलब्ध है। 'लीला राजभाषा' और 'लीला प्रवाह' जैसे शिक्षण पैकेजों के माध्यम से 14 भारतीय भाषाओं में हिंदी सीखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2022 में शुरू हुआ 'हिंदी शब्द सिंधु' अब तक लगभग 7 लाख शब्दों से समृद्ध हो चुका है।

2024 में हिंदी दिवस पर 'भारतीय भाषा अनुभाग' की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बनें। डिजिटल इंडिया, ई–गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में हम भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम, प्रासंगिक और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने वाली शक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं।

मित्रों, भाषा सावन की उस बूँद की तरह है, जो मन के दुःख और अवसाद को धोकर नई ऊर्जा और जीवन शक्ति देती है। बच्चों की कल्पना से गढ़ी गई अनोखी कहानियों से लेकर दादी–नानी की लोरियों और किस्सों तक, भारतीय भाषाओं ने हमेशा समाज को जिजीविषा और आत्मबल का मंत्र दिया है।

मिथिला के कवि विद्यापति जी ने ठीक ही कहा है:
"देसिल बयना सब जन मिट्ठा।"
अर्थात् अपनी भाषा सबसे मधुर होती है।

आइए, इस हिंदी दिवस पर हम हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करने और उन्हें साथ लेकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी तथा विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लें।

आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

वंदे मातरम्।

(अमित शाह)

नई दिल्ली
14 सितंबर, 2025

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संदेश

मुझे यह जानकर पार हर्ष हो रहा है कि हमारे कार्यालय की हिंदी पत्रिका “कावेरी” का 31 वाँ अंक प्रकाशित हो रहा है।

हिंदी हमारी राजभाषा होने के साथ-साथ सांस्कृतिक अस्मिता और अभिव्यक्ति की आत्मीय धारा भी है। जिस प्रकार कावेरी नदी अपने तटों को जीवन और समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार “कावेरी” पत्रिका हमारे सहकर्मियों की सृजनात्मकता और विचारों को प्रवाहमान करती है।

कार्यालयीन कार्यों के साथ-साथ साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का यह मंच सहकर्मियों को अपने विचारों, अनुभवों और रचनात्मक प्रतिभा को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। इससे न केवल राजभाषा हिंदी के प्रयोग और प्रोत्साहन को बल मिलता है, बल्कि आपसी संवाद और सहयोग की भावना भी प्रगाढ़ होती है।

मुझे विश्वास है कि यह अंक पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक, उपयोगी एवं प्रेरणादायी सिद्ध होगा। पत्रिका के संपादन, संकलन एवं प्रकाशन में योगदान देने वाले सम्पादकीय मंडल और सभी सहयोगियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ।

आशा है कि कावेरी की यह साहित्यिक धारा भविष्य में भी इसी प्रकार समृद्ध एवं प्रेरणादायी रूप से प्रवाहित होती रहेगी।

राजीव कुमार सिंह
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संदेश

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारा कार्यालय राजभाषा हिंदी पर केंद्रित कार्यालयीन पत्रिका "कावेरी" का 31वां अंक प्रकाशित कर रहा है। यह पत्रिका न केवल हिंदी के प्रचार-प्रसार का माध्यम है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग के प्रति बढ़ते प्रयास को भी दर्शाती है।

कर्नाटक जैसे राज्य में, जो 'ग' क्षेत्र में आता है, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, सरकारी पत्राचार, नीति-संबंधी कार्यों और दैनिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए निष्ठापूर्वक एवं प्रगतिशील प्रयास करना हमारा उत्तरदायित्व है। अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा (कन्नड़) के साथ-साथ हिंदी के प्रयोग को बढ़ाकर, हम न केवल अपने संवैधानिक दायित्व का पालन करते हैं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करते हैं।

मुझे विश्वास है कि यह पत्रिका अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कामकाज में हिंदी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी और सभी को गुणवत्तापूर्ण लेखन के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करेगी। मैं इस सफल प्रयास के लिए संपादक मंडल को हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में यह पत्रिका ज्ञानवर्धन और लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि करती रहेगी।

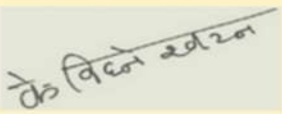

के. विघ्नेश्वरन
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

संपादकीय

राजभाषा विशेषांक के रूप में प्रकाशित कार्यालीन हिंदी गृह पत्रिका 'कावेरी' के यह 31वें अंक को आप सभी को समर्पित करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। इस कार्यालय के 'ग' क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद कावेरी हिंदी गृह पत्रिका की 31 वर्षों की निरंतर यात्रा राजभाषा हिंदी के महत्व को दर्शाती है। हिंदी के महत्व को आज दुनिया ने पहचाना है। विश्व पटल पर हिंदी ने जो आज पहचान बनाई है वह यूँ ही अकस्मात् नहीं है। इस पहचान के पीछे एक लंबी संघर्ष यात्रा रही है, बल्कि वह संघर्ष यात्रा अभी थमी नहीं है, जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक कि हिंदी अपने उस मान-सम्मान को प्राप्त नही कर लेती जिसकी वह सच्ची हकदार है।

इस अंक में संघ की राजभाषा नीति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। इसके साथ-साथ कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की रचनाओं को भी उचित स्थान प्रदान किया गया है। मेरा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध है कि राजभाषा हिंदी का सम्मान करें और उसे सही मायने में अपनाएं और अपना काम-काज मूल रूप से हिंदी में करने का प्रयास करें तथा अपने अनुभाग के अन्य पदाधिकारियों को भी हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करें। मूल रूप से हिंदी में काम करने से ही हिंदी को राजभाषा का सही दर्जा मिलेगा, जिसकी वह हकदार है। 'कावेरी' पत्रिका के प्रकाशन सहयोग करने वाले पदाधिकारियों का हृदय से आभार। सभी रचनाकारों और पाठकों को हार्दिक शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत धन्यवाद!

उदय प्रताप सिंह
सहायक निदेशक (राजभाषा)

आपके पत्र

राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह, नई दिल्ली

प्रीति
कनिष्ठ अनुवादक

राजभाषा विभाग की स्वर्ण जयंती एक प्रवर्तक युग का प्रतीक रही है। 26 जून 2025 को राजभाषा विभाग की स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया था। इस भव्य स्वर्ण जयंती समारोह का उद्देश्य केवल एक जश्न मनाना नहीं था, बल्कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की दिशा में पिछले पाँच दशकों की यात्रा, उपलब्धियों और भविष्य की रणनीतियों पर विचार-विमर्श करना भी था। इस ऐतिहासिक अवसर पर, विभाग ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार में अपने 50 साल के सफर को याद किया और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की।

यह एक भव्य कार्यक्रम था जिसमें देश भर से हिंदी प्रेमी और राजभाषा के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। साथ ही इस गौरवशाली अवसर पर, देश के गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री और अनेक प्रख्यात साहित्यकार, भाषाविद् तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समारोह के मुख्य अतिथि-माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह थे।

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और राष्ट्रगान के साथ हुई। इसके बाद राजभाषा विभाग की स्थापना से लेकर अब तक की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाती एक लघु फिल्म दिखाई गई, जिसमें विभाग द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों, जैसे कि सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग बढ़ाना, तकनीकी उपकरणों और सॉफ्टवेयरों में भारतीय भाषाओं का समावेश और देशभर में हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुगम बनाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य को विस्तार से दिखाया गया।

इस अवसर पर कंठस्थ-2.0(अनुवाद सारथी) –सॉफ्टवेयर टूल एवं हिंदी शब्द सिंधु (एक बृहत एवं समावेशी डिजिटल शब्दकोश में समाहित नई विशेषताओं व भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना, भाषायी समन्वय की ओर एक कदम का लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि श्री अमित शाह ने राजभाषा विभाग की 50 वर्षों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया और राजभाषा विभाग की विभिन्न उपलब्धियों की प्रशंसा की।

गृह मंत्री ने अपने मुख्य भाषण में हिंदी के महत्व और राजभाषा के रूप में इसकी भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "राजभाषा विभाग ने पिछले 50 वर्षों में हिंदी को केवल सरकारी फाइल और कागजात की भाषा नहीं, बल्कि देश के आम जन की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।" उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि हमें भाषाई विविधता का सम्मान करना चाहिए और हिंदी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि देश की सांस्कृतिक और भाषाई एकता और मजबूत हो सके।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं की सहचरी है और इसे अन्य भाषाओं का प्रतिद्वंद्वी नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि राष्ट्र की आत्मा है।

नई दिल्ली में राजभाषा विभाग की स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने भाषाओं को जीवित और समृद्ध बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन को लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा में काम करना चाहिए। श्री अमित शाह ने कहा कि जब तक कोई व्यक्ति अपनी भाषा पर गर्व नहीं करेगा, अपनी भाषा में अपनी बात नहीं कहेगा, तब तक वह गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकता। गृह मंत्री ने कहा कि जे.ई.ई., नीट और सी.यू.ई.टी. अब 13 भाषाओं में लिए जा रहे हैं और आज 95 प्रतिशत उम्मीदवार अपनी मातृभाषा में कांस्टेबल की परीक्षा दे रहे हैं।

उन्होंने उम्मीद जताई कि राजभाषा विभाग भविष्य में भी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए काम करता रहेगा।

इस अवसर पर राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित एक विशेष स्मारिका का विमोचन भी किया गया, जिसमें भाषा के विकास से जुड़े लेख और महत्वपूर्ण संस्मरण शामिल हैं। इसके अलावा, उन अधिकारियों और कर्मचारियों को राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्होंने हिंदी के प्रचार-प्रसार में उत्कृष्ट योगदान दिया था। इनमें वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने दुर्गम क्षेत्रों में हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए अथक प्रयास किए।

इस समारोह में राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी होने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही अर्धसैनिक बलों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम ने मंच को देशभक्ति के रंग से सराबोर कर दिया।

समारोह के समापन पर, राजभाषा विभाग के निदेशक ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और यह संकल्प लिया कि भविष्य में विभाग डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर हिंदी को और अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेगा। यह समारोह न केवल विभाग की सफलता का जश्न था, बल्कि इसने भारतीय भाषाओं के भविष्य के लिए एक नई दिशा भी प्रदान की। यह साबित करता है कि भाषा केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि हमारी पहचान और प्रगति का प्रतीक भी है।

राजभाषा विभाग ने हमारे देश की भाषा और संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजभाषा विभाग को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहना होगा।

....

हिंदी की उपभाषाएँ एवं बोलियाँ

भारत में हिंदी क्षेत्र की समस्त भाषाओं को 5 उपभाषाओं में वर्गीकृत किया गया है।

एस.एन. शंकर
सहायक पर्यवेक्षक (सेवानिवृत्त)

क्र.सं.	उपभाषा	बोलियाँ	प्रमुख राज्य
1	राजस्थानी	1. जयपुरी या ढूंढाड़ी (पूर्वी राजस्थान) 2. मारवाड़ी (पश्चिमी राजस्थान) 3. मेवाड़ी (उत्तरी राजस्थान) 4. मालवी (दक्षिणी राजस्थान)	राजस्थान
2	पूर्वी हिंदी	1. छत्तीसगढी 2. अवधी 3. बघेली	छत्तीसगढ़ उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश
3	पश्चिमी हिंदी	1. ब्रजभाषा 2. कन्नौजी 3. बुन्देली 4. बांगरु या हरियाणवी 5. कौरवी या खड़ी बोली	उत्तरप्रदेश हरियाणा
4	बिहारी	1. भोजपुरी 2. मगही	उत्तरप्रदेश बिहार
5	पहाड़ी	1. मैथिली 2. कुमाऊँनी 3. गढ़वाली	उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश

हिंदी की प्रमुख बोलियाँ

एस.एन. शंकर
सहायक पर्यवेक्षक (सेवानिवृत्त)

प्रकार	कौरवी या खड़ी बोली	ब्रजभाषा	अवधी	भोजपुरी	मैथिली
केन्द्र-	मेरठ, दिल्ली (कुरु जनपद)	मथुरा	अयोध्या/अवध	भोजपुर	मिथिला, तिरहुत
बोलने वालों की संख्या	1 से 2 करोड़	3 करोड़	3.5 करोड़	3.5 करोड़	1.5 करोड़
साहित्य	गीत, गीत नाटक, लोक कथा, गप्प पहेली.	कृष्ण भक्ति (काव्य की एकमात्र भाषा)	सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, प्रबंध काव्य	भोजपुर भाषी साहित्यकार (क) मध्यकाल में ब्रजभाषा अवधी में (ख) आधुनिक काल में हिन्दी में लेखन करते हैं।	साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत संपन्न है।
रचनाकार		(क) भक्तिकालीन- सूरदास, नन्ददास (ख) रीतिकालीन- बिहारी, मतिराम, भूषण देव (ग) आधुनिक काल- भारतेन्दु, हरिश्चन्द्र,	(क) सूफीकवि- मुल्लादावुद, जायसी, कुतुबन, उसमान (ख) रामभक्त कवि- तुलसीदास	भिखारी ठाकुर (उपनाम भोजपुरी का शेक्सपीयर, भोजपुरी का भारतेन्दु)	विद्यापति, हरिमोहन झां, नागार्जुन, राजकमल चौधरी

....

राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान

मनीषा विश्वकर्मा
कनिष्ठ अनुवादक

संघ की राजभाषा नीति द्विभाषिकता की है अर्थात् इसमें संघ के सरकारी काम काज के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के प्रयोग का प्रावधान है। संविधान के भाग-17 में राजभाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं जिनमें अनुच्छेद-343 से 351 तक 9 अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित हैं जिनमें हिंदी की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

संविधान के **अनुच्छेद 343 (1)** के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा होगी तथा संघ में सरकारी प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रयोग होगा।

अनुच्छेद-343 (2) के अनुसार संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक यानी 26 जनवरी, 1965 तक हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी होता रहेगा।

अनुच्छेद 343 (3) के अनुसार संसद इस अवधि को आगे भी बढ़ा सकती है।

अनुच्छेद-344 (1) संविधान के लागू होने के 5 साल बाद 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग के गठन की व्यवस्था की गई।

अनुच्छेद-344 (2) के अनुसार यह आयोग अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी काम काज में हिंदी के क्रमिक प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद-344 (3) के अनुसार आयोग की सिफारिश पर राय देने के लिए संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही संसद द्वारा अनुच्छेद-343 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया।

अनुच्छेद-345 के अनुसार राज्यों को यह अधिकार है कि वे अपने यहां प्रयुक्त किसी एक भाषा या एक से अधिक भाषाओं को अपनी राजभाषा चुन सकते हैं या चाहे तो अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकते हैं ।

अनुच्छेद-345 पर ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि राज्यों को अपनी राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए केंद्र की भांति 15 सालों तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी वे अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय अंग्रेजी की जगह सभी कार्यों के लिए किसी भी भाषा को अपनी राजभाषा या राजभाषाएं अपनाने के लिए स्वतंत्र थे।

अनुच्छेद-346 में संघ और राज्यों के बीच पत्राचार के माध्यम की व्यवस्था की गई और कहा गया कि जो भाषा संघ के सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए इस समय प्राधिकृत है वही संघ और राज्यों के बीच पत्राचार के लिए प्रयुक्त की जाएगी।

अनुच्छेद-347 में राष्ट्रपति राज्य की माँग के आधार पर किसी भी भाषा को सरकारी कामकाज के लिए मान्यता दे सकते हैं।

अनुच्छेद-348 खंड (1) में यह प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद कोई दूसरा कानून नहीं बनाती तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में होंगी।

अनुच्छेद-348 के खंड (2) के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से अपने राज्य के उच्च न्यायालय के निर्णयों, आदेशों आदि को छोड़कर बाकी सभी कार्रवाइयों के लिए हिंदी या राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है।

अनुच्छेद-349 में यह कहा गया है कि 348 (1) में उल्लिखित भाषा की व्यवस्था में परिवर्तन के लिए यदि 1965 के पहले कानून बनाया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।

अनुच्छेद-350 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी व्यथा के निवारण के संबंध में अपना आवेदन या अभ्यावेदन सरकारी पदाधिकारी के सामने किसी भी भाषा में प्रस्तुत कर सकता है।

अनुच्छेद-350 (क) तथा 350 (ख) के द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए यह व्यवस्था की गई है।

हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश - 351वें अनुच्छेद में हिंदी के विकास के विषय में संघ सरकार को निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं-

हिंदी भाषा की प्रसार-वृद्धि और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। भाषा की आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं की रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत तथा गौणतः उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।

....

राजभाषा हिंदी का कार्यालयीन स्वरूप

उदय प्रताप सिंह
सहायक निदेशक (राजभाषा)

भारतीय संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा है। इसके अनुपालन के लिए संविधान में कई व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में यह कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछित हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए इसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।

देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि हिंदी को राजभाषा बनाने के पीछे संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण व्यावहारिक था। हिंदी को राजभाषा के लिए इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि इसका साहित्य अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक संपन्न है या यह अन्य भाषाओं की तुलना में अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में अधिक सक्षम है। कोई भी भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में अक्षम या सक्षम नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग के अवसर मिलने पर ही भाषा सक्षम बनती चली जाती है। हिंदी को इसलिए राजभाषा बनाया गया क्योंकि यह भारत की अधिकांश जनता द्वारा बोली या समझी जाती है। हिंदी-भाषी क्षेत्र के अधिकांश व्यक्ति सीमित संदर्भ में अपनी मातृ भाषा का प्रयोग करते हैं और तथा औपचारिक संदर्भों के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं। अन्य भाषाओं के बोलने वालों के लिए हिंदी एक संपर्क भाषा का कार्य करती है।

राजभाषा की आवश्यकता

प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए राजभाषा की आवश्यकता होती है। राजभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसमें उस राष्ट्र का सरकारी कामकाज चल सके। कार्यालयी भाषा अथवा सरकारी पत्र व्यवहार और टिप्पणी लेखन की भाषा सामान्य भाषा से भिन्न होती है फिर भी इस भाषा को यथासंभव जनसामान्य की भाषा के निकट ही होना चाहिए। कार्यालयीन हिंदी का स्वरूप सरकारी कामकाज की कार्यप्रणाली और उसके पीछे निहित सिद्धांतों द्वारा निर्धारित होता है।

कार्यालयी भाषा की प्रकृति

राजभाषा की प्रकृति के संबंध में भी काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी कामकाज की भाषा सरल, सहज और जनता की भाषा के काफी नजदीक हो तभी सरकारी कामकाज जनता की भाषा में करने की धारणा को साकार किया जा सकता है। भारत सरकार समय-समय पर हिंदी के प्रयोग के संबंध में निर्देश जारी करती रहती है जिनमें इसी बात पर जोर दिया जाता रहा है कि सरकारी कामकाज की भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए।

भाषा की वर्तमान क्लिष्टता का मुख्य कारण इसका अनुवाद प्रधान होना है। मौलिक लेखन के विकास के साथ यह कृत्रिमता अपने आप दूर हो जाएगी। भाषा में क्लिष्टता शब्दों द्वारा नहीं होती, तकनीकी शब्दों का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए अनिवार्य होता है। भाषा दुरूह और अटपटी तब बनती है जब उसका वाक्यविन्यास उसकी प्रकृति के अनुसार न होकर उस पर थोपा जाता है। अनुवाद प्रधान भाषा को यदि हम एक सामयिक मजबूरी मान लें तो जो मौलिक लेखन उभर रहा है वह सामयिक ही है। इस संबंध में कुछ उदाहरणों को देखें तो यह बात साफ हो जाएगी। कार्यालयीन भाषा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं-

सरलता- प्रायः यह समझा जाता है कि हिंदी भाषा में कार्यालयीन कामकाज करना कठिन है कोई भी भाषा सरल या कठिन नहीं होती। भाषा की जानकारी का होना या ना होना ही भाषा को सरल या कठिन बनाता है। अतः दैनिक कार्यों के माध्यम से जितनी अधिक हिंदी भाषा और उसके शब्दों से परिचय होगा वह उतनी ही सहज और सरल लगने लगेगी। कार्यालय में प्रयुक्त हिंदी इतनी सरल होनी चाहिए कि सभी अधिकारी व कर्मचारी आसानी से उसे समझ सकें। कार्यालयीन हिंदी में दो अर्थ वाले और अटपटे शब्दों से बचना चाहिए।

संक्षिप्तता- सरकारी कामकाज की भाषा में संक्षिप्तता होनी चाहिए। संक्षिप्तता के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि टिप्पणी व प्रारूप में कोई आवश्यक तथ्य छूट न जाए। विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। अतः भाषा निश्चित एवं संक्षिप्त होनी चाहिए।

स्पष्टता- कार्यालयीन भाषा का मुख्य कार्य विचारों को बिना किसी लाग लपेट के संबंधित व्यक्ति तक पहुँचाना होता है। इस रूप में अच्छी भाषा उसी को माना जाएगा जिससे केवल वही अर्थ निकले जो लिखने वाला संप्रेषित करना चाहता है। शब्दों का द्वि-अर्थी या अनेकार्थी होना साहित्यिक भाषा का गुण माना जा सकता है, कामकाजी हिंदी में इसे अवगुण ही माना जाता है।

प्रचलित शब्दों का प्रयोग- प्रत्येक जीवंत भाषा में यह क्षमता होती है कि वह दूसरी भाषा के शब्दों को अपने में समाहित करते हुए अपनी भाषा को समृद्ध करें। इसी के अनुरूप मुगलों तथा अंग्रेजों के शासनकाल में अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के हजारों शब्द हिंदी भाषा में समाहित हो गए। भारत सरकार की नीति है कि अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग में किसी भी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी के अनेक शब्द जैसे रजिस्टर, टाइपिस्ट, टिकट, टोकन आदि का बहिष्कार किसी भी दृष्टि से हिंदी की समृद्धि के लिए हितकर नहीं माना जा सकता।

वाक्य विन्यास- कार्यालयीन हिंदी में आवश्यकतानुसार दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपनाया जा सकता है लेकिन पद रचना तथा वाक्य रचना हिंदी की प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिए। यद्यपि किसी भी जीवंत भाषा पर दूसरी भाषाओं का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है किंतु यह ध्यान रखा रखना आवश्यक है कि यह प्रभाव उस भाषा के मूल स्वरूप को विकृत ना करें। इस दृष्टि से 'बैंक' शब्द का बहुवचन 'बैंकों' होना चाहिए ना कि अंग्रेजी के बहुवचन रूप 'बैंक्स' को ही यथावत लिया जाए। इसी क्रम में 'कम्प्यूटर' का बहुवचन 'कम्प्यूटरों' होगा ना कि 'कम्प्यूटर्स'।

वाक्य स्तर पर वाक्य रचना हिंदी की प्रकृति के अनुकूल हो। उदाहरण के लिए 'बाहर बैठा हुआ लड़का मेरा भाई है' के अंग्रेजी रूपांतर The boy, who is sitting outside is my brother के प्रभाव के कारण 'वह लड़का जो बाहर बैठा है, मेरा भाई है' के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। हमें अंग्रेजी में सोचकर या लिखकर उसका अनुवाद करने की अपेक्षा मूल लेखन ही हिंदी में करना चाहिए।

मितव्ययिता- कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपना कामकाज यथाशीघ्र निपटाकर कार्यालय प्रक्रिया को गति प्रदान करें। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि कम से कम शब्दों में अपनी बात कही जाय। इसी प्रकार मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए 'चर्चा करें/निरस्त/स्वीकृत/अनुमोदित/जारी करें' आदि का प्रयोग किया जाता है।

इसी प्रकार पत्राचार में भी अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न केवल श्रम को बढ़ाता है बल्कि भाषिक सौंदर्य को भी नष्ट कर देता है, साथ ही अर्थ का अनर्थ होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए भयंकर सूखा पड़ने और वर्षा न होने से फसल खराब हो गई के स्थान पर भयंकर सूखे से फसल खराब हो गई का प्रयोग किया जाना चाहिए।

एकरूपता- राजभाषा आयोग एवं संसदीय राजभाषा समिति द्वारा भाषा की एकरूपता पर विशेष बल दिया गया है। इन निर्देशों के अनुपालन के अभाव में एक ही शब्द के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग-अलग पर्याय प्रयोग में आ रहे हैं, जैसे- अंग्रेजी के Director शब्द के हिंदी पर्याय के लिए निदेशक (केंद्र) संचालक (म.प्र.) निर्देशक (बिहार) आदि प्रयोग हो रहा है। इन सबके निवारण के लिए ही सरकार द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा अनुमोदित शब्दावली के प्रयोग का निरंतर आग्रह किया गया है।

सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग- कार्यालयीन भाषा सुसंस्कृत, सभ्य एवं श्रेष्ठ होनी चाहिए। पहले किसी के निर्णय यदि गलत साबित हुए हों तो यह न कहा जाए कि- वह इतना मूर्ख था कि इतना भी उसकी समझ में नहीं आया के स्थान पर उस समय इन बातों पर विचार नहीं किया गया लिखा जाना चाहिए।

कर्मवाच्य का प्रयोग- कार्यालयीन हिंदी में कर्मवाच्य का प्रयोग अधिक किया जाता है। इसका कारण उनमें व्यक्ति निर्पेक्षता एवं सत्यनिष्ठा है। हर भाषा की अपनी शैली, अभिव्यक्ति की पद्धति होती है। अतः अनुवाद की अपेक्षा मौलिक भाषा का प्रयोग किया जाए, ताकि भाषा में स्वाभाविकता बनी रहे।

कार्यालयीन भाषा में कर्मवाच्य, व्यक्ति निर्पेक्ष, वाक्य रचना ही प्रधानता रहती है क्योंकि इसमें व्यक्ति की अपेक्षा पद अधिक प्रमुख होता है। सभी कार्य आदेश, अनुमोदन, सहमति, स्वीकृति व अनुदेश के आधार पर संपन्न किए जाते हैं। इसीलिए इसमें आदेशात्मक, सुझावात्मक, कथनात्मक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

आदेशात्मक वाक्य

1. पुनः प्रस्तुत करें।
2. शीघ्र निपटाएं।
3. प्रशासनिक प्रधान का अनुमोदन प्राप्त करें।

कर्मवाच्य प्रधान आदेशात्मक वाक्य

1. फाइल पर प्रस्तुत किया जाए।
2. चर्चा के अनुसार मसौदा संशोधित किया जाए।
3. मंत्रालय की सहमति प्राप्त की जाए।

कथनात्मक वाक्य

1. मामला अभी विचाराधीन है।
2. मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाती है।

सुझावात्मक वाक्य

1. छुट्टी मंजूर की जा सकती है।
2. बैठक स्थगित की जा सकती है।

कर्ता का लोप

1. सूचित किया जाता है कि.........
2. शिकायत प्राप्त हुई है कि........

ऐसा पाया गया है कि........

उक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि कार्यालयीन हिंदी की वाक्य संरचना सामान्य हिंदी की वाक्य संरचना के अंतर्गत रहते हुए भी चयन के सिद्धांत पर आधारित है। कार्यालीन हिंदी में कर्मवाच्य की प्रधानता है, जो इसकी प्रकृति के अनुसार स्वाभाविक ही है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि कार्यालयीन हिंदी में कार्य करना सहज और सरल है। हमें अपना कार्यालयीन कार्य हिंदी में करना चाहिए तथा अपने सहकर्मियों को भी हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी राजभाषा हिंदी को उसका उचित स्थान और सम्मान प्राप्त हो सकेगा।

संदर्भ सूची-

1. भारतीय संविधान
2. कार्यशाला संदर्शिका (केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार)
3. हिंदी कार्यशाला सहायिका-ठाकुर दास, जनवाणी प्रकाशन, प्रा.लि. नई दिल्ली

....

हिंदी–विविधता में एकता और विकास की शक्ति

वेदानंद पांडेय
सहायक लेखाधिकारी

भारत आज नई ऊँचाइयों की ओर बढ़ रहा है। आर्थिक प्रगति, तकनीक, विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बढ़ती उपस्थिति हमें “विकसित भारत” की ओर ले जा रही है। लेकिन सवाल है – क्या यह विकास केवल अंकों और आँकड़ों से पूरा हो जाएगा? जवाब है– नहीं। जब तक हमारी अपनी भाषा और संस्कृति विकास का हिस्सा नहीं बनेंगी, तब तक यह यात्रा अधूरी रहेगी।

हिंदी करोड़ों भारतीयों की जुबान है। यह उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक लोगों को जोड़ने वाली भाषा है। संविधान ने इसे राजभाषा का दर्जा दिया, लेकिन व्यवहार में अंग्रेज़ी का दबदबा अब भी ज़्यादा है। उच्च शिक्षा, अदालतें और सरकारी दफ़्तरों में आम आदमी अपनी भाषा के बजाय अंग्रेज़ी की जटिलता से जूझता है।

यदि भारत सचमुच विकसित राष्ट्र बनना चाहता है तो ज़रूरी है कि विकास की योजनाएँ और तकनीकी सुविधाएँ हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हों। ग्रामीण इलाकों में बैठा नौजवान तभी स्टार्टअप शुरू कर पाएगा, जब जानकारी उसे उसकी भाषा में मिलेगी। किसान तभी नई तकनीक अपनाएगा, जब मार्गदर्शन सरल हिंदी में होगा।

आज हिंदी केवल भारत तक सीमित नहीं है। यह विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। विदेशों में बसे भारतीय समुदाय ने इसे वैश्विक मंच तक पहुँचाया है। यदि हम इसका सही उपयोग करें तो हिंदी भारत की “सॉफ्ट पावर” बन सकती है।

इसलिए ज़रूरत है कि हम हिंदी को केवल भावनाओं तक सीमित न रखें, बल्कि इसे ज्ञान, विज्ञान, प्रशासन और व्यापार की भाषा बनाएँ। विकसित भारत की असली पहचान वही होगी जो अपनी मातृभाषा में सोच सके, बोल सके और दुनिया को संदेश दे सके।

"हिंदी केवल भाषा नहीं, भारत की आत्मा है।"

....

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 70% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 60% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 60% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4.ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 60% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	80%	55%	35%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	75%	65%	35%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	45%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	70%	60%	35%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%

9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुलअनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक,ई-हिंदी समाचार पत्र, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं ।	100%	100%	100%
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें		वर्ष में 2 बैठकें	
	(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक),	
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति			
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	

15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/ उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों ।	45%	35%	25%
			(न्यूनतम अनुभाग)	

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 45%, "ख" क्षेत्र में 30% और "ग" क्षेत्र में 20% कार्य हिंदी में किया जाए ।

कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले सामान्य वाक्यांश

क्र.सं.	अँग्रेजी शब्द	हिंदी अनूदित शब्द
1	Accountant	लेखाकार
2	Account	लेखा, खाता, हिसाब
3	Administrative function	प्रशासन-कार्य, प्रशासकीय कार्य
4	Ad valorem	यथामूल्य, मूल्यानुसार, मूल्य का
5	All due diligence	सब सम्यक् तत्परता
6	Assets	परिसम्पत्ति
7	Audit report	लेखापरीक्षा रिपोर्ट
8	Audited accounts	परीक्षित लेखा
9	Book of Account	लेखा बही
10	Branch office	शाखा कार्यालय
11	Capital expenditure	पूंजीगत व्यय
12	Case is under consideration	मामला विचाराधीन है
13	Co-creditor	सहलेनदार
14	Gratuity fund	उपदान निधि
15	Head of Account	लेखा शीर्ष
16	Opening Entry	प्रारम्भिक प्रविष्टि
17	Proposal	प्रस्ताव, प्रस्थापना
18	Passed for Payment	भुगतान के लिए स्वीकृत/पास किया गया
19	Personal Pay	वैयक्तिक वेतन
20	Intermediary	मध्यवर्ती

लेखा एवं लेखापरीक्षा संबंधी शब्दावली

क्र.सं.	अँग्रेजी	हिंदी
1	The vacancy has already been filled.	रिक्त पद पहले ही भरा जा चुका है।
2	Arrange the entries in chronological order.	प्रविष्टियों को तिथिक्रमानुसार व्यवस्थित करें।
3	The letter is being sent to you for appropriate action.	उचित कार्रवाई के लिए आपको पत्र भेजा जा रहा है।
4	The data had been found accurate.	डेटा सही पाया गया था।
5	The abstract statement is enclosed.	संक्षिप्त विवरण संलग्न है।
6	The subsequent Audit had not yet been completed.	आगामी लेखापरीक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई थी।
7	Deficiencies were noticed in the quality of data.	डेटा की गुणवत्ता में कमियां पाई गई।
8	This should be done with verifiable data.	यह सत्यापन योग्य डेटा के साथ किया जाना चाहिए।
9	The scheme did not encourage the proposals.	योजना ने प्रस्तावों को प्रोत्साहित नहीं किया।
10	Government had not fixed any Norms.	सरकार ने कोई मानदंड तय नहीं किया था।
11	Further, reasons for the lapse be examined.	इसके अलावा, चूक के कारणों की जांच भी की जाए।
12	Follow up on Audit Reports.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई।
13	Analysis of Arrears of Revenue.	बकाया राजस्व का विश्लेषण।
14	Effective monitoring mechanism may be put in place.	प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए।
15	Audit scrutiny of the records revealed .	अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला।
16	All the recommendations were implemented in a phased manner.	सभी सिफारिशों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया।
17	These were on account of defective material.	ये दोषपूर्ण सामग्री के कारण हुए थे।
18	Financial concurrence is accorded.	वित्तीय सहमति दी जाती है।
19	Please, attach a fair copy of the proposal.	कृपया प्रस्ताव की स्वच्छ प्रति संलग्न करें।
20	Certificate Issue of Verification of Service for pension	पेंशन से संबंधित सेवा सत्यापन का प्रमाण पत्र जारी करना।

पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली

जैसन डिसोजा
लेखाकार

"हमारे ग्रह के लिए सबसे बड़ा खतरा, यह विश्वास है कि कोई और इसे बचा लेगा।"
– रॉबर्ट स्वॉन

दुनिया की मानव जनसंख्या 8 बिलियन को पार कर चुकी है और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन मौजूद है। लेकिन जिस गति से वर्तमान में सभ्यता आगे बढ़ रही है, उस गति को देखते हुए यह एक विचारणीय प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन और कितने समय तक टिक पाएगा।

आज की तेज़ गति वाली दुनिया में, 'विकास' की अवधारणा लगभग 'तेजी से होते शहरीकरण' और 'औद्योगीकरण' का पर्याय बन चुकी है। आधुनिक मनुष्य इतना अधिक लालची और स्वार्थी हो गया है कि उसे इस गंभीर समस्या—'पर्यावरणीय क्षरण'—पर सोचने का एक पल का भी समय नहीं है।

हर दिन हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं जैसे: ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ओज़ोन परत में छेद, अम्लीय वर्षा, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि आदि—ये सभी इस असंतुलन के प्रत्यक्ष परिणाम हैं। पारिस्थितिक संतुलन में यह असंतुलन मानव हस्तक्षेप के कारण आया है।

हालाँकि, कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों, सरकारी निकायों और अन्य गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा हमारी माँ पृथ्वी की रक्षा और उसकी समृद्ध जैव विविधता को बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए गए हैं; फिर भी हममें से प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए।

इस लेख में, मैं कुछ सरल जीवनशैली में बदलावों की चर्चा करना चाहता हूँ, जिन्हें हम अपनी दैनिक दिनचर्या में अपनाकर एक बेहतर भविष्य के लिए योगदान दे सकते हैं।

01. 3Rs सिद्धांत: जब हम सततता (sustainability) की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो बात मन में आती है वह है 3Rs सिद्धांत। ये 3Rs हैं—Reduce (कम करना), Reuse (पुन: उपयोग करना), और Recycle (पुनर्चक्रण करना)।
हम जिन संसाधनों का उपयोग करते हैं, चाहे वे प्रचुर मात्रा में हों या सीमित, हमें उनका सोच-समझकर उपयोग करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो, उन्हें पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण करना चाहिए।

02. ऊर्जा संरक्षण: जब बिजली के उपकरण उपयोग में न हों, तो उन्हें बंद करना—यह एक छोटा सा कार्य है लेकिन पर्यावरण के लिए यह बहुत लाभदायक होता है।

03.नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग: हमें गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को स्थापित और उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भू-ऊष्मीय ऊर्जा आदि को जहाँ भी संभव और व्यावहारिक हो, वहाँ अपनाना चाहिए।

04. सार्वजनिक परिवहन का उपयोग: हमें जहाँ भी और जब भी संभव हो, वहाँ सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह सुविधाजनक और पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है।

05. जल संरक्षण: हमारे अस्तित्व के लिए जल का महत्व स्पष्ट है। हमें इस अमूल्य प्राकृतिक उपहार का उपयोग करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। नलों का रिसाव ठीक करना, जल बचाने वाले उपकरणों को लगाना, वर्षा जल संचयन जैसी विधियाँ जल संरक्षण के प्रभावी उपायों में से हैं।

इसके अतिरिक्त, हम अपने जीवन में कई सरल बदलाव ला सकते हैं जैसे- प्राकृतिक अनुकूल उत्पादों का उपयोग करना, कागज़ और प्लास्टिक की खपत को कम करना, भोजन की बर्बादी को रोकना, पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना, अपने मित्रों और साथियों को भी ऐसे पर्यावरण अनुकूल उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करना आदि।

हालाँकि इन जीवनशैली परिवर्तनों के लिए बहुत अधिक प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी हममें से कई लोग इन उपायों को अपनाने में लापरवाह हैं या फिर हमने अभी तक इस समस्या की गंभीरता को महसूस नहीं किया है।

समय तेजी से निकल रहा है और अब समय आ गया है कि हम अपनी अज्ञानता से जागें।

....

वटवृक्ष की पाठशाला

दलीप सिंह
सहायक पर्यवेक्षक

1. भूली-बिसरी बस्ती

भवानी एक छोटा सा गाँव था, जो मध्य भारत की धूप में तपते मैदानों में छिपा हुआ था। यहाँ जीवन हवा की गति से चलता था – धीरे, शांत और कभी-कभी तूफानी। उपजाऊ मिट्टी, चमकदार सूरज और आत्मा से भरा यह गाँव, नीति-निर्माताओं, शहरी योजनाकारों, यहाँ तक कि गूगल मैप से भी छूट गया था। लेकिन इसमें कुछ अद्भुत था – एक 200 साल पुराना वटवृक्ष, जो कभी गाँव का गर्व हुआ करता था।

यह वृक्ष सिर्फ लकड़ी और पत्तों से बना नहीं था। यह एक साक्षी था। इसने पीढ़ियों को इसके नीचे खेलते देखा था, प्रेमियों को अपनी भावनाएँ इसकी छाल पर खुदवाते देखा था और बुजुर्गों को इसकी छाया में चाय पीते देखा था। सबसे खास बात, यह भवानी के एकमात्र स्कूल के बगल में खड़ा था।

अब वह स्कूल एक जर्जर इमारत था। बिना छत के, टूटी दीवारें और कुछ धूल भरी बेंचें। बारिश का पानी कोनों में जमा होता, छिपकलियाँ दीवारों पर रेंगतीं और मकड़ी के जाले खिड़की का पर्दा बन चुके थे। कागज़ों में यह अब भी एक "संचालित" सरकारी प्राथमिक विद्यालय था, लेकिन वास्तव में सिर्फ उपस्थिति रजिस्टर ही अपडेट होता था, वह भी महीने में एक बार, वह भी एक क्लर्क द्वारा।

2. मीरा की वापसी

मीरा ने भवानी में ही बचपन बिताया था, उसी वटवृक्ष के नीचे। वही वृक्ष, जिसकी जड़ों पर वह बचपन में चढ़कर दुनिया के सपने देखती थी। एक छात्रवृत्ति और अपने भीतर की आग की बदौलत, वह मुंबई पहुंची, कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली और एक AI स्टार्टअप में काम किया। लेकिन उसका दिल हमेशा भवानी में ही अटका रहा।

पाँच साल शहर में बिताने के बाद, वह लौटी। लोग हैरान थे। "जो लड़की मुंबई के सपने देख चुकी हो, वह क्यों लौटेगी?" लेकिन मीरा आराम के लिए नहीं, योगदान के लिए लौटी थी।

जब उसने पुराने स्कूल को देखा, तो उसका दिल टूट गया। लेकिन फिर उसने वटवृक्ष को देखा – अब भी मजबूती से खड़ा, अपनी बाहें फैलाए जैसे हमेशा से करता आया था। मीरा मुस्कुराई।

"अगर यह वृक्ष नहीं टूटा," उसने फुसफुसाया, "तो मैं क्यों हार मानूँ?"

3. खुले आसमान के नीचे कक्षा

मीरा ने सबसे पहले स्कूल की सफाई की, कुछ उत्सुक बच्चों की मदद से। फिर वह कुछ ऐसा लाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी – एक लैपटॉप, एक छोटा सोलर जनरेटर और एक AI सहायक, जिसे उसने अपनी टीम के साथ बनाया था: साथी (AI)।

साथी (AI) गणित, विज्ञान, भाषा और पर्यावरण विज्ञान, हिंदी, मराठी और अंग्रेज़ी में पढ़ा सकता था, वह भी ऑफलाइन। यह हाथ से लिखी गणनाएँ समझ सकता था, सही उच्चारण सिखा सकता था, और कहानियाँ भी सुना सकता था। यह केवल मशीन नहीं, एक सेतु था।

कक्षाएं वटवृक्ष के नीचे शुरू हुईं। बच्चे लैपटॉप के चारों ओर जमा हो गए, उनकी आँखें चमक रही थीं, मुँह खुले रह गए थे। वे साथी (AI) की आवाज़ में गुणा के लिए आमों का इस्तेमाल सुनकर हँसते, नदियों की कहानियों में खो जाते, और जल चक्र के गीतों पर झूमते। यह एक जादू था।

4. दीवारों से परे शिक्षा

खबर तेजी से फैल गई। जो अभिभावक कभी स्कूल को समय की बर्बादी समझते थे, वे अब अपने बच्चों को भेजने लगे। जब मीरा ने “प्रकृति और हम” नामक शनिवार की विशेष कक्षा शुरू की, तो उसने शिक्षा को जमीन से जोड़ दिया।

बच्चे सीखने लगे कि पेड़ कैसे साँस लेते हैं, मिट्टी कैसे यादें सहेजती है और बारिश का पानी कैसे बचाया जा सकता है। हर बच्चे ने एक पौधा लगाया और उसे नाम दिया। साथी (AI) की मदद से उन्होंने उसकी तस्वीरें खींची और एक डिजिटल हर्बेरियम बनाया। वे केवल विज्ञान नहीं, जीवन सीख रहे थे।

हालाँकि, चुनौतियाँ बनी रहीं। कुछ दिन धूप नहीं होती, तो लैपटॉप नहीं चलता। कुछ बुजुर्ग अब भी मानते थे कि लड़कियों को शिक्षा की ज़रूरत नहीं। और कभी-कभी नेताओं की यात्रा होती, जो वादों से भरी होती लेकिन कार्यवाही से खाली। मीरा इनसे नाराज़ नहीं होती, बल्कि परिणामों से जवाब देती।

5. मानवीय स्पर्श के साथ AI की शक्ति

साथी (AI) अब सिर्फ शिक्षक नहीं रहा। वह बच्चों से बातचीत कर सीखता गया। उसने स्थानीय बोलियाँ सीखी, उनकी गति के अनुसार पाठ्यक्रम बदला, और यहाँ तक कि किसानों को खेती के सुझाव भी देने लगा।

तारा नाम की लड़की, जो पहले बोलने से डरती थी, अब अपने छोटे भाई-बहनों को साथी (AI) के साथ पढ़ाने लगी। राजू नामक लड़का, साथी (AI) की मदद से कबाड़ से मौसम केंद्र बना बैठा।

उधर, मीरा ने NGO और कॉर्पोरेट CSR फंड को गाँव की ओर आकर्षित किया। जल्द ही भवानी को डिजिटल ब्लैकबोर्ड, और सोलर पैनल मिल गए। सरकार से नहीं, बल्कि इस विश्वास से कि यह छोटा गाँव कुछ बड़ा कर रहा है।

6. ज्ञान और जीवन के वृक्ष

हर शुक्रवार, "वृक्ष संवाद" आयोजित होता। हर बच्चा अपने लगाए पेड़ की प्रगति बताता। एक दिन, एक बच्चे ने कहा, "मेरा पेड़ उदास लगता है, जैसे बारिश को याद कर रहा हो।" इससे जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई। दूसरे बच्चे ने कहा, "मेरा पेड़ मजबूत है, जैसे अब हम हो गए हैं।"

वटवृक्ष के नीचे ये बच्चे सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं, ज़िन्दगी के लिए सीख रहे थे। उन्हें समझ आया कि एक पेड़ काटने से नाला सूख सकता है, और एक लगाकर चिड़ियों को बुलाया जा सकता है। वे अब सिर्फ "पेड़ बचाओ" के नारे नहीं लगाते, वे उन पर चलते थे।

7. पहचान और प्रेरणा

दो साल बाद, भवानी अब अनदेखा नहीं था। शिक्षा मंत्रालय के लोग आए, पत्रकार आए, डॉक्युमेंट्री टीम आई। वटवृक्ष की पाठशाला ने उन छात्रों को जन्म दिया था जो कुछ शहरों के बच्चों से बेहतर कर रहे थे।
मीरा को राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में बुलाया गया। वहाँ नौकरशाह, CEO, और शिक्षाविद बैठे थे। मीरा ने कोई चमचमाते स्लाइड्स नहीं दिखाए। उसने एक वीडियो चलाया – बच्चों का झुंड वटवृक्ष के नीचे बैठा, साथी (AI) की आवाज़ में जल चक्र सीखते हुए, एक हाथ में पौधा और आँखों में जिज्ञासा लिए हुए।
उसके अंतिम शब्द साधारण थे:

"अगर एक वृक्ष कक्षा बन सकता है, और AI शिक्षक, तो अज्ञानता के लिए अब कोई बहाना नहीं बचा। हमें सिर्फ इरादा, जड़ें और थोड़ी धूप चाहिए।"

8. उपसंहार: वटवृक्ष फिर हरा हुआ

आज भवानी में एक डिजिटल लर्निंग सेंटर है। लेकिन वटवृक्ष की कक्षा अब भी चलती है। वही इसकी आत्मा है। साथी (AI) अब 50 और गाँवों में कार्यरत है। हर केंद्र में एक “ग्रीन ज़ोन” है – जहाँ बच्चे ज्ञान के साथ पेड़ भी उगाते हैं।

मीरा अब रोज़ पढ़ाती नहीं। वह मार्गदर्शन करती है। असली शिक्षक वही बच्चे हैं जिन्हें कभी उसने पढ़ाया था। राजू अब कोडर है। तारा वनस्पति वैज्ञानिक बन चुकी है।

और हर साल शिक्षक दिवस पर, वे सब वटवृक्ष के नीचे इकट्ठा होते हैं, उसकी जड़ों को छूते हैं, और कहते हैं:
“धन्यवाद, हमारे पहले स्कूल बनने के लिए।”

नैतिक संदेश: - कक्षा के बाहर भी शिक्षा संभव है। - प्रकृति और पेड़ जीवन के शिक्षक हैं। - AI, जब मानव भावना के साथ जुड़ा हो, तो सामाजिक खाई को पाट सकता है। - बदलाव दीवारों से नहीं, इरादों से आता है।

शतरंज का खेल

श्री कृष्ण मोहन,
सहायक लेखाधिकारी

दीपावली बीते कुछ दिन हो चले थे। मेरे सभी मित्र जो दीपावली की छुट्टियों में घर गए थे, वापस आ गए थे। ठंड की शुरुआत हो चुकी थी। धूप में बैठना अच्छा लगता था। कार्यालय के लंच ब्रेक के बाद हम सभी मित्र इकट्ठे एक साथ बैठते हैं, सामान्यतः यही हमारा नियम है। उस दिन भी हम सभी लोग खाना खाने के बाद अपने अड्डे पर इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे थे। ठंड के दिनों में खाना खाने के बाद धूप में बैठकर मित्रों के साथ गपशप करने का अपना अलग ही आनंद है।

हमलोग दबे पाँव उसके पास गए कि देखें आखिर बाबू साहब देख क्या रहे है। वह अपनी धुन में इतना तल्लीन था कि उसे पता भी नहीं चला कि हम सब कब उसके पीछे आ खड़े हुए। अब हम सब के सामने भी वही था जो वह देख रहा था। सच कहूँ तो हमे बड़ी निराशा हुई कि हमारी शंकाएं निर्मूल साबित हुईं। वह कुछ ऐसा देख रहा था जो हम सब की समझ से परे था। मोबाइल की स्क्रीन पर एक वर्गाकार मैदान था जिस पर ढेर सारे छोटे-छोटे चौकोर (वर्गाकार) खाने बने हुए थे जो क्रमश: एक काला और एक सफेद था। उसी छोटे-छोटे वर्गाकार खानों में बीच-बीच यादृच्छिक तरीकों से कहीं सफेद तो कहीं काली आकृति रखी हुई थी।

लेकिन आजकल मोबाइल का लगातार बेतरतीब उपयोग इस आनंद में खलल डालता जा रहा है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, मेरे सभी मित्र तो गपशप करने में मग्न थे, किन्तु उनमें से एक हमारे समूह से थोड़ी दूर हट के बैठा हुआ था। पहले हमने सोचा शायद आज वो नहाकर आया होगा, इसलिए समूह से अलग जा कर बैठा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी मित्र मंडली ने ऐसा क्यों सोचा की मेरा वो मित्र जो अलग-थलग जा कर बैठा है आज नहाकर आया होगा तो आपको बात दूँ कि जब आप हमारी मित्र मंडली के बारे में जानेंगे तो आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी और आप हमारी मित्र मंडली की बौद्धिक तार्किकता की तारीफ करते नहीं थकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको अपनी मित्र मंडली के बारे में फिर कभी बताऊँगा। हाँ तो हम बात कर रहे थे उस मित्र के बारे में जो हमसे दूर जाकर बैठ गए थे और खुद को हमारी बातचीत की आनंद से वंचित किए हुए अपने मोबाइल की स्क्रीन में कुछ निहार रहे थे। पहले हम सभी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आए दिन हम में से सभी कभी न कभी ऐसा करते ही रहते है। किन्तु फिर हम सभी ने अवलोकन किया कि वह काफी देर से मोबाइल की स्क्रीन को टकटकी लगाकर निहार रहा है। पलकें तक नहीं झपका रहा है। हमलोगों को शंका हुई कि जरूर किसी सुंदरी को निहार रहा होगा,तभी इतना शांतचित बैठा है, अथवा यह भी हो सकता है कि वह सचमुच में ही सम्मोहित हो गया हो। दोनों ही परिस्थितियों का विचार कर हमलोगों का मैत्री कर्तव्य जग गया, अगर एक मित्र शांतचित बैठा हो तो दूसरा उसकी शांति में खलल ना डाले तो वह मित्र कैसा और एक मित्र मुसीबत में हो तो दूसरा उसके काम न आए तो वह मित्र किस काम का।

मेरा वह मित्र थोड़ी-थोड़ी देर में ना जाने क्या सोचकर किसी एक आकृति को अंगूठे से छूता और वह आकृति एक खट्ट की आवाज के साथ किसी दूसरे वर्गाकार खाने पर स्थान्तरित हो जाती। तभी मेरे एक मित्र ने कहा “हाँ, मैंने गिना, कुल चौसठ वर्गाकार खाने हैं, आठ स्तंभ और आठ पंक्तियाँ”। तभी दूसरा मित्र बोला, हाँ, देखो एक आकृति तो गधे के सिर की तरह दिखाई दे रही है तो तीसरे ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं जी, वह हमारी बिरादरी का नहीं है, वह तो घोड़ा है। हालांकि ये सभी बातें मेरे उस मित्र के पास ही हो रही थीं किन्तु भौतिक रूप से हमारे पास नहीं था, इसलिए शायद उसे हमारी बातें सुनाई नहीं दे रही थीं। उसके अंगूठे को मोबाइल की स्क्रीन पर थिरकते देखते हुए थोड़ी देर और बीत गए, तभी मोबाइल से एक ध्वनि प्रकट हुई ‘चेक एण्ड मेट’।

इस वाक्य ध्वनि को सुनते ही हम सभी ने एक सुर में कहा “यह तो शतरंज का खेल है”। दरअसल जब हम लोग एस.एस.सी की परीक्षा दे रहे थे उसमें एक प्रश्न था ‘चेक एण्ड मेट’ किस खेल से संबंधित है। हम सब ने इसके जवाब में विकल्प शतरंज को चुना था। इसी प्रश्न के सही उत्तर देने की वजह से ही तो हम सभी मित्रों का इस नौकरी में चुनाव हो पाया।

हम सभी को इस बात की खुशी हुई कि हमारे मित्र समूह में कोई तो है जो दिमाग लगाने वाला खेल खेलता है। खैर बाद में यह हमारा भ्रम साबित हुआ कि शतरंज कोई दिमाग लगाने वाला खेल है। दूसरे लोगों की तरह हमारे मित्र समूह की भी यह धारणा थी कि शतरंज दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखने का खेल है और जब हमारे मित्र समूह में ही शतरंज का खिलाड़ी है तो क्यों न हम सभी को भी शतरंज सीखना चाहिए। हमारे उस मित्र ने हमें शतरंज सिखाने के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसने हमें बताया चेस बोर्ड पर कौन सी मोहरें कहाँ रखी जाती है और उनका काम क्या होता है। तथा उसे खेलने के कायदे-कानून भी बात दिए। ज्यों-ज्यों वह खेल के नियमों की व्याख्या करता जाता त्यों-त्यों हमारा मन तर्क की दुनिया में विरोधाभाषी गोता लगाता जाता। खेल के सारे नियम समझने के बाद हमें समझ आया कि यह तो एक वाहियात खेल है। हमारे मित्र मंडली को शतरंज का खेल जो समझ में आया वह इस प्रकार है-

शतरंज के खेल में दो राजा होते हैं। एक राजा काला होता है तथा दूसरा राजा सफेद होता है। दोनों राजा की अपनी-अपनी एक-एक रानी होती है। काले राजा की रानी काली और सफेद राजा की रानी सफेद होती है। काले राजा के खेमे में आठ काले सिपाही, दो काले घोड़े, दो काले ऊँट और दो काले हाथी होते हैं, उसी प्रकार उजले राजा के पास आठ गोरे सिपाही, दो उजले घोड़ा, दो उजले ऊँट और दो उजले हाथी होता है। दोनों राजा पता नहीं क्यों आपस में लड़ाई करते हैं। शायद राजा का मुख्य पेशा ही लड़ाई करना है। वो कहते हैं न खाली दिमाग शैतान का घर होता है और राजा के पास कोई काम धंधा तो होता है नहीं तो वह झगड़ा करने के लिए किसी को ढूँढता है। उसे पता है कि अपनी पत्नी से तो वो जीत नहीं पाएगा और बाकी तो उसकी सेना में सब जानवर ही हैं तो वह दूसरे राजा से युद्ध छेड़ देता है। दूसरे राजा का भी यही हाल है। युद्ध की शुरुआत हमेशा गोरा राजा ही करता है।

एक बात और है कि राजा हमेशा युद्ध ही करता रहे तो राज्य की तरक्की कैसे होगी। खैर जो भी हो, हम तो वही बता रहे हैं जो हम सभी को समझ आया। इस खेल के नियम-कायदे भी अजीब हैं। अब बताइए चार पैर का घोड़ा, उसे ढाई पग चलने के लिए कहा गया है। घोड़ा बेचारा कितना दु:खी रहता होगा। अब सिपाही को ही ले लीजिए, सिपाही चलता सीधा है और आक्रमण तिरछा होकर करता है। अगर उसके सीधे रास्ते में कोई शत्रु सेना आ जाए तो वह उसे नहीं मार सकता। सुना है शतरंज प्राचीन खेल है जो राजाओं-महाराजाओं का पसंदीदा खेल रहा है। तो बताइए ये लोग अभी तक सिपाही को इतना भी प्रशिक्षण नहीं दे पाए कि शत्रु सेना पर सीधे वार कर सकते है। हाथी की चाल तो थोड़ी समझ में आती है कि चलो ठीक है जंगल का जानवर है सीधा-सीधा चलता है, उसके रास्ते जो शत्रु आता है उसे मार देता है। ऊँट की चाल भी ठीक-ठाक कही जा सकती है, मरुभूमि का पशु है तिरछा चलता है, लेकिन ऊँट में रंगभेद की नीति पाई जाती है। उजले खाने का ऊँट कभी भी काले खाने में अपना कदम नहीं रखता है। इतना ही नहीं वह लड़ाई भी अपनी शत्रु सेना के उजले खाने के ऊँट से ही करता है। भले ही शत्रु सेना का काला ऊँट उसके बगल में आकर खड़ा हो जाए वह उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। जब उजला ऊँट काले ऊँट की कोई मदद नहीं करता है तो काले ऊँट को क्या पड़ी है कि वह उजले खाने में बैठे ऊँट की मदद करे। काले खाने का ऊँट भी उजले खाने में कदम नहीं रखता। यह रंगभेद नीति नहीं तो और क्या है, बताइए जरा।

शतरंज के खेल के नियम-कायदे जिसने भी बनाए हैं वह जरूर ही नारीवाद का घोर समर्थक रहा होगा। तभी तो शतरंज के खेल में रानी सबसे अधिक ताकतवर होती है। वह शतरंज के बोर्ड के एक कोने से दूसरे कोने तक सीधे या तिरछे जैसे उसका मन करे एक ही छलांग में जा सकती है।

जिस खेल में रानी घोड़े से भी तेज दौड़ सकती हो तथा हाथी और ऊँट भी इसकी शक्ति के सामने पानी भरते नजर आते है। अब राज की बात सुनिए । कहने को तो यह खेल का राजा है पर लंगड़ा-लंगड़ा कर एक-एक खाने में चलता है। जब आप राजा है और आपके पास सेना है, हाथी-घोड़ा और ऊँट जैसी सवारियाँ है फिर पैदल चलने की क्या जरूरत है, वह भी युद्ध के मैदान में।

जब हम सब ने यह जाना कि शतरंज के खेल में जब कोई सिपाही अंतिम खाने तक पहुँच जाता है तो वह फिर अपनी इच्छानुसार हाथी,घोड़ा ऊँट या रानी बन सकता है। अर्थात उसका पुर्नजन्म होता है तो हम सभी मित्रों का मन खट्टा हो गया और हम सभी ने तय किया कि ऐसी वाहियात खेल हमें नहीं खेलना जो आज के इस आधुनिक युग में भी पुर्नजन्म जैसी मान्यताओं पर विश्वास करता है। आप ही विचार कीजिए क्या कोई स्वस्थ्य दिल-दिमाग का आदमी ऐसा खेल खेलेगा जिसमें राजा के पास हाथी-घोड़े होते हुए भी वह पैदल चले,शासन तो राजा का हो पर शक्ति रानी के पास हो, पुर्नजन्म जैसी कोरी मान्यताओं में विश्वास करता हो। जब हमने अपनी यह दलील अपने शतरंज खेलने वाले मित्र के सामने रखी तो पता नहीं क्यों वह अपना माथा पकड़कर बैठ गया।

....

मेरी माँ

सविता
सहायक लेखाधिकारी

वो सुबह है मेरी,
वो मेरी रात भी है।
वो धूप की गर्माहट सी है
वो बारिश की फुहार भी है
अंधेरे में टिमटिमाते तारे सी
वो मेरी परछाई का सार भी है।
वो माँ है मेरी, क्या कहूँ उसे,
वो प्यार और ममता का अंबार सी है।

वो न थकती है न रुकती है,
सबको साथ लिए बस चलती है।
बोझ उठाए अपने दो कंधो पर
सबके सपनों को उड़ान देती है।
निश्चल धारा सी बहती है,
वो सबको अभिभूत सा करती है।
वो माँ है मेरी, क्या कहूँ उसे,
वो प्यार और ममता का अंबार सी है।

एक सरकारी कर्मी की डिजिटल दुनिया

विजय सिंह धीरावत
लेखाकार

वो सरकारी कर्मी, जो कंप्यूटर की दुनिया में खो जाता है,
हर दस्तावेज़, हर कोड में, न जाने क्या ढूँढता है।
ऑफिस के सेक्शन और सरवर रूम में,
वो अपनी मेहनत से हर दिन नए लक्ष्य को पाता है।

आईटीसीटी की दुनिया में, जहां चुपचाप चलता है काम,
जहां हर समाधान में होती है समझ और ध्यान का ध्यान।
न थकते हैं, न रुकते हैं, न पराजित होते हैं,
अपने कार्यालय में हर समस्या को हल करते हैं।

वो प्रशासन का रक्षक है, डेटा का संरक्षक,
हर बिट और बाइट में वो जान डालता है,
जैसे मौसम की तरह बदलती तकनीकी दुनिया,
उसकी मेहनत से ही सही दिशा पाती है ये प्रक्रिया।

चाहे सिस्टम डाउन हो, या नेटवर्क में हो कोई खलल,
वो बिना घबराए, हर संकट को सुलझाता है।
कभी छुट्टी की चाहत नहीं, कभी थकान का असर नहीं
क्योंकि उसकी नज़र में है सरकारी सेवा का सच यही।

संगठित डेटा, नई तकनीकी, या हो सिस्टम की कृत्रिम बुद्धिमत्ता,
उसकी कड़ी मेहनत से हर चीज में हो जाए सुगमता
हर दिन नए अपडेट के साथ, वो डिजिटल दुनिया को सजाता है,
वो इस दुनिया को खूबसूरत बनाता है, हर बग को हल करता है

ऑफिस के सेक्शन और कर्मचारियों में है उसका हुनर,
उसका नाम बिना शोर के, हर किसी के दिल में है जरूर,
वो न दिखता है मंच पर, ना चाहता है पहचान,
लेकिन उसकी मेहनत से चमकता है हर सरकारी दफ्तर का भवन।

हम सलाम करते हैं उसे, जो काम में है समर्पित,
जो दिन-रात बिना थके अपने कर्तव्यों में डूबा है।
उसकी मेहनत है अनकही, फिर भी वो काम में माहिर,
वो सरकारी कर्मी, जो आईटीसीटी में हैं अद्वितीय सिपाही।

घर और मकान

शिवांकू चतुर्वेदी
लेखाकार

जब छूटा वो आँगन, वो मिट्टी की खुशबू,
जब दूर हुआ माँ की रसोई का जादू।
जब अलमारी में बंद बचपन की कहानियाँ छूटीं,
तब जाना, मकान और घर में कितनी है दूरी।

मकान तो मिल जाते हैं हर गली हर मोड़ पर,
ईंट-पत्थर से बनी हुई चार दीवारी भर।
पर घर... घर तो वो होता है जहां दिल मुस्कुराए,
जहां कोई बिन कहे, तुम्हारा हाल पूछ जाए।

जहां हर कोना कुछ कहता है, हर चीज में जान होती है,
जहां चुप्पियाँ भी अपनापन बुनती हैं, कोई पहचान होती है।
जहां दीवारों पर टंगी तस्वीरें सांस लेती हैं,
जहां खिड़कियों से आती हवा भी अपनों की तरह मिलती है।

मकान में मिलती हैं छाँव, पर घर में सुकून मिलता है,
मकान में रहते हैं लोग, घर में रिश्ता पलता है।
घर वो होता है जहां लौटने का मन करे,
जिस्म चाहे कितनी भी दूर जाएँ, लेकिन दिल वहीं ठहर जाए।

वो नुक्कड़ की चाय, वो मोहल्ले की सड़कों की बात,
वो पुराना आँगन, वो दोस्तों की हर एक सौगात।
वो आवाजें जो अब बस यादों में हैं कहीं,
वो लम्हे जो दोबारा मिलें, ये मुमकिन नहीं।

अब समझ में आता है,
घर वो नहीं जो सिर्फ छत दे
घर तो वो है जो राहत दे

घर और मकान का फर्क इतना होता है
मालूम न था
बढ़ती उम्र मकान तक ले आई
जिम्मेदारियाँ...
बचपन घर पे छोड़ आई
जिम्मेदारियाँ...
बचपन घर पे छोड़ आई।

एक प्रहार वेतन का भी

चंदन कुमार चौधरी
सहायक लेखा अधिकारी

सैलरी, तुम हर महीने आती हो!
आती हो तो खुश कर जाती हो!
लेकिन पता नहीं कब चली जाती हो!
सैलरी, तुम हर महीने आती हो!!

जब भी मैं सोचता हूँ की कार ख़रीद लू!
पर तुम थप्पड़ मार जाती हो!
सैलरी, तुम हर महीने आती हो!!

रोजमर्रा की जिंदगी में तुम सहारा बन कर आती हो!
सैलरी, तुम हर महीने आती हो!

जब भी मैं कुछ और बड़ा करने की सोचता हूँ!
तुम सिर्फ रोज का ही खर्चा उठा पाती हो!
सैलरी, तुम हर महीने आती हो!!

कभी लगता है बचत कर लूँ!
पर तुम खुद ही गुजर बसर में ढल जाती हो!
सैलरी, तुम हर महीने आती हो!!

EMI, डबल, और किराए में!
तुम्हारा चेहरा भी नही दिखता!

सैलरी, तुम हर महीने आती हो!
महीने के पहले हफ्ते में रानी बनती हो!
दूसरे हफ्ते में आम सी लगती हो,
तीसरे हफ्ते में ग़ायब हो जाती हो,

और चौथे हफ्ते तो CRED पे भी उधारी चलती हो!
सैलरी, तुम हर महीने आती हो!!

कभी-कभी लगता है तुम मेरी नहीं!
बैंकों, ई-कॉमर्स ऐप्स और दुकानों की हो!
सैलरी, तुम हर महीने आती हो!!
जब भी मैं सोचता हूँ तुम्हें और बढ़ाने की!
तुम और छोटी होती चली जाती हो!
सैलरी, तुम हर महीने आती हो!!

NPS में जाती हो, टैक्स में कट जाती हो,
बचती हो तो बस पेट्रोल में जल जाती हो!
सैलरी, तुम हर महीने आती हो!!

खामोशी – अच्छी है

शिवांकू चतुर्वेदी
लेखाकार

तुम्हें पता है,
तुम्हारी खामोशी तुमसे कुछ कहती है
शायद खामोशी भी चाहती है
सुना जाना

लेकिन सुनाई उसे देगी
जो चाहते हैं खामोशी से , तुम्हें सुने जाना।
हासिल वैसे हुआ क्या है... तुम्हारे शोर से?
कितनों ने सुनके भी नाकार दिया।

होकर देखो तो खामोश
जो सच में तुम्हें सुनना चाहते है,
उन्हें फिर ये खामोशी चुभने लगेगी।

वो बात अलग है,
कि तब तक शायद तुम्हें,
ये खामोशी अच्छी लगने लगेगी
खामोशी अच्छी लगने लगेगी।।

हर इंसान के होते हैं अपने रंग

राहुल शर्मा
लेखाकार

हर इंसान के होते हैं अपने रंग,
कुछ हल्के, कुछ गहरे, कुछ बेरंग।
हंसी के पीछे गम का साया,
तो कहीं मुस्कान में झूठ समाया।
कोई मीठा बोलकर छल जाता है,
कोई खामोश रहकर सब कह जाता है।
कोई रंग दिखाता है मौसम की तरह,
कभी गर्मी, कभी सर्दी और कभी इंद्रधनुष की तरह।
कुछ जो हर पल बदलते हैं,
जैसे गिरगिट रंग में ढलते हैं।
काले सफ़ेद से आगे हैं चेहरे,
हर मन में छिपे हैं राज गहरे।
रंग बदलते हैं अक्सर हालातों के साथ
चेहरे ही बताते हैं, सच और जज़्बात।

डी.बी.ए की मस्ती

चंदन कुमार चौधरी
सहायक लेखा अधिकारी

सुबह-सुबह डेस्क पे,कॉफी है तैयार,
डेटाबेस खुला... और Error आया शानदार!
फॉर्म बनाया था जैसे आर्ट गैलरी का माल,
यूज़र बोले– "लॉगिन पे ही हो रहा है बवाल!"

रिपोर्ट पर रिपोर्ट, चारों तरफ धमाल,
"ऐसे कर दो!"–"नहीं-नहीं वैसे कर दो!"
मन में सोचा–दोस्त, Excel ही रख लो,
हमसे अब ये चेंज करना मत बोलो!

पदनाम बदलते रहे, A से B, फिर B से C,
काम वही... जैसे पुरानी कोई सीडी।
बस टाइटल नया–सीनियर-सीनियर कुछ,
पर हाथ में वही पुराना माउस टच।

डेटा माइनिंग करता हूँ जैसे खजाना खोजूं
पर निकले बस गलतियां–वो भी रोज़ूँ!
वाउचर वैलिडेशन सुनते ही लगता VIP,
लेकिन असल में लगता बकवास चाय की चुस्की

सैंपलिंग डेटा, जैसे शेफ करें टेस्ट,
दिमाग बोले–"यार, आज कर दे रेस्ट!"
क्वेरी बनाई थी, यूज़र बोले–"भाई, एक और बना दे",
मैं बोला–अरे मेरे भाई, GitHub पे ढूँढ ले!

एनालिसिस में नंबर ऐसे नाचते हैं,
जैसे DJ पे बाराती कूदते हैं!
लेटर एड्रसिंग, आखिरी टच है हमारा,
फिर भी एस.ए.ओ बोले" थोड़ा कल जल्दी आना!"

टाइटल बदलते रहे, पर पोस्ट वही,
डी बी ए हूँ, यहीं का यहीं।
पर एक बात तो है बिलकुल पक्की,
डेटाबेस समझाने में हूँ मैं सबसे अच्छी!

यादों में अपना बचपन

श्री हिमांशु पटेल
लेखाकार

यादों के संग जुड़ने को जब आँखें भी कुछ भर आती हैं
छूट गया अब बचपन अपना, याद पुरानी जब आती है
वो घर के बाहर की चौपालें, मेल-मिलाप था अपनों वाला
बचपन में थे सब घर अपने, वो पल अब ना आने वाला
होते थे बारिश में भीगे, रहती मस्ती छाई थी
भीगे कपड़ों में रहकर के, कभी लंबी दौड़ लगाई थी
आँखों में ओझल था बचपन, दौर था जब वो मेलों वाला
पेड़ों पर झूलों की मस्ती, वो सावन न आने वाला
ऐसी वैसी बातों से जब, मन मेरा घबराता है
वापस दौर में जाने को तब, बच्चा मन बन जाता है
ना ही अब वो समय बचा है, ना ही बचपन आने वाला,
समय खेल का ऐसा पहिया, पीछे अब न चलने वाला

अक्तूबर 2024 से सितंबर 2025 के दौरान कार्यालय के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

क्रम सं.	नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदनाम	सेवानिवृत्ति दिनांक
01.	दासप्पा टी.	वरिष्ठ लेखाकार	31.10.2024
02.	गोविंदराजन वी. आर.	सहायक पर्यवेक्षक	31.10.2024
03.	सचिदानंदन बी.	पर्यवेक्षक	31.10.2024
04.	सुधाकर एस	पर्यवेक्षक	31.10.2024
05	गीता एन. एस.	सहायक पर्यवेक्षक	30.11.2024
06	राजीव वी. एम.	सहायक लेखाधिकारी	31.12.2024
07.	अंबुजाक्षी एस.	पर्यवेक्षक	31.12.2024
08.	लूर्दू मेरी जे.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	31.01.2025
09.	मीरा एस. आर.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	31.01.2025
10.	सारम्मा जॉर्ज	वरिष्ठ लेखाधिकारी	31.01.2025
11.	लीला के.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	31.01.2025
12.	उन्नीकृष्णन ए.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	28.02.2025
13.	रामास्वामी ए.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	28.02.2025
14.	स्मिता कामत	निजी सचिव	28.02.2025
15.	मधुमति एस. एच.	लेखाकार	28.02.2025
16.	मंजुलादेवी एस.	पर्यवेक्षक	31.03.2025
17.	कुमार एच.	सहायक पर्यवेक्षक	31.03.2025
18.	नारायणस्वामी जी.	सहायक पर्यवेक्षक	31.08.2024
19.	शैलजा अविनाश	सहायक लेखाधिकारी	30.04.2025
20.	जयराज ए.	सहायक पर्यवेक्षक	30.04.2025
21.	दोड्डेकेम्पय्या के.	वरिष्ठ लेखाकार	30.04.2025
22.	बनिता क्लारेंस लोबो डिसूजा	पर्यवेक्षक	31.05.2025

अक्तूबर 2024 से सितंबर 2025 के दौरान कार्यालय के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

क्रम सं.	नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदनाम	सेवानिवृत्ति दिनांक
23.	नरासराजू एन.	एम.टी.एस	31.05.2025
24.	रमेश बाबू आर.	एम.टी.एस	31.05.2025
25.	जयम्मा आर.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	30.06.2025
26.	शैलजा बी. एल.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	30.06.2025
27.	शांति जगदीशन	वरिष्ठ लेखाधिकारी	30.06.2025
28.	शोभा के.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	30.06.2025
29.	हूवम्मा के.	पर्यवेक्षक	30.06.2025
30.	शशीधर आर.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	31.07.2025
31.	गीता जी. एस.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	31.07.2025
32.	अरुणा एन.	सहायक लेखाधिकारी	31.07.2025
33.	चंद्रकांता बाई के. आर.	पर्यवेक्षक	31.07.2025
34.	लक्ष्मीकांत के. एन.	पर्यवेक्षक	31.07.2025
35.	मनीमेगलई टी.	सहायक पर्यवेक्षक	31.07.2025
36.	नागेश बी. एल.	सहायक पर्यवेक्षक	31.07.2025
37.	जयंतम्मा	पर्यवेक्षक	31.07.2025
38.	राजेश एस. पी.	पर्यवेक्षक	31.08.2025
39.	आनंद एन.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	30.09.2025
40.	हरि के.	पर्यवेक्षक	30.09.2025
41.	रमेश एम. के	पर्यवेक्षक	30.09.2025

अग्नि सुरक्षा पर कार्यशाला, 10 जुलाई, 2025 - कर्नाटक राज्य अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग, कर्नाटक सरकार के समन्वय से, रंगमंदिर में अग्नि सुरक्षा पर कार्यशाला का आयोजन।

हिंदी पखवाड़ा 2024

महालेखाकार (ले.व ह.) का कार्यालय कर्नाटक, बेंगलूरु
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E) KARNATAKA, BENGALURU
ಹಿಂದಿ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ
27ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024
हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह
27 सितंबर 2024
HINDI PAKHWADA CLOSING CEREMONY
27 SEPTEMBER 2024

हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह
ॐ
हिंदी हमारी शान है
भारत का अभिमान है

हिंदी पखवाड़ा 2024

कार्यालय में आयोजित कार्यशालाएँ

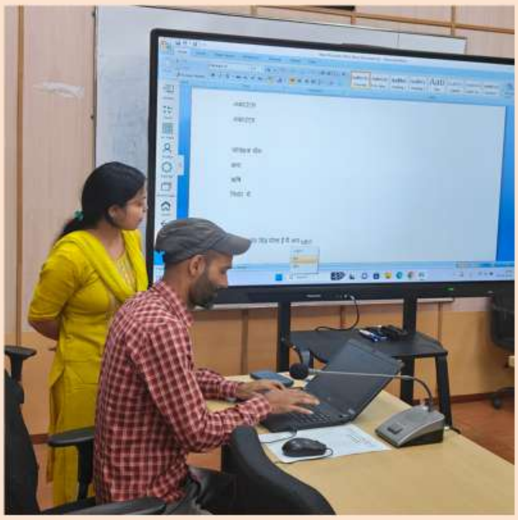

कार्यालय में आयोजित कार्यशालाएँ

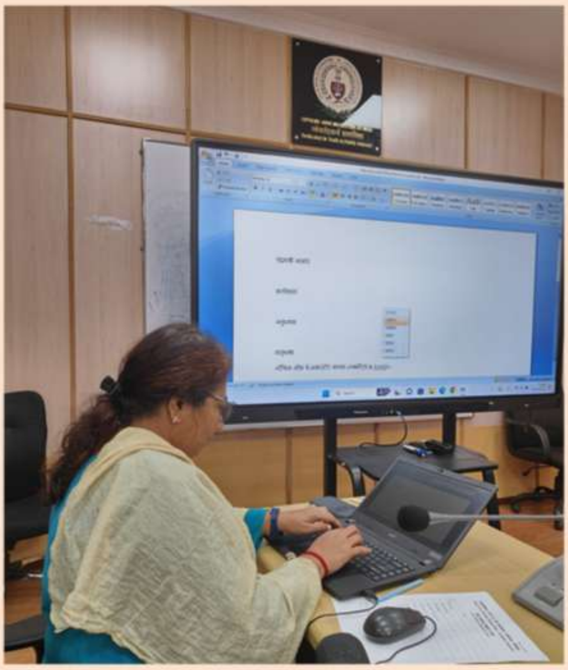

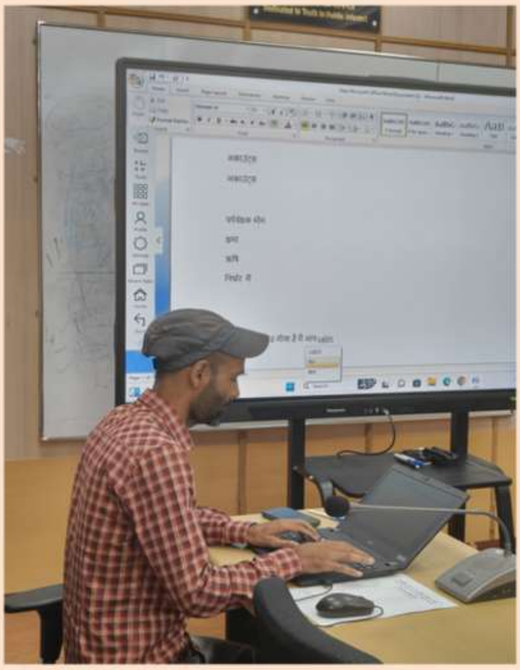

मेडिकल कैम्प 20.08.2025

मोबाइल उपयोग जागरूकता शिविर 03.09.2025

स्वतंत्रता दिवस 2025

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 28.10.2024 से 03.11.2024

देखो हँस न देना

नीरव: मेरा फोन 13वीं मंजिल से गिर गया, लेकिन टूटा नहीं, बताओ क्यूँ?
अनीश: क्योंकि वह एरोप्लेन मोड पर था।

चिंटू (पापा से): पापा, क्या आप आँखें बंद कर के लिख सकते हैं?
पापा: हाँ, मैं लिख सकता हूँ।
चिंटू: तो फिर यहाँ मेरी रिपोर्ट कार्ड पर हस्ताक्षर कर दीजिए।

श्याम (शेरीन से): फराह कंप्यूटर पर काम करने की इच्छुक क्यों नहीं है?
शेरीन: क्योंकि वह माउस छूने से डरती है।

अवि (अनि से): अंडे जोक्स क्यों नहीं सुनाते हैं?
अनि: क्योंकि उन्हें क्रेक होने का डर रहता है।

चारु (मीतू से): तुम कहाँ रहते हो?
मीतू: एमजी रोड
चारु: तुम मेरे यहाँ होने पर भी रोड पर रहती हो... मेरे घर आ जाओ।

ग्राहक (वेटर से): वेटर, इस सूप का स्वाद बहुत फनी है।
वेटर: तो फिर आप हंस क्यों नहीं रहे।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय
पार्क हाउस रोड
बेंगलूरू, कर्नाटक
560001

https://cag.gov.in/ae/karnataka/en

चित्र : हम्पी